## राजस्थान-सरकार कार्यालय जिला कलक्टर, सीकर दिनांकः-क्रमांक/भू.अ./12/

## ::आदेश::

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.९ (३१)राज-१/०९/९० जयपुर दिनांक 14.12.09 द्वारा राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत 14.12.03 वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग करने की अधिसूचना जारी की है। उक्त अधिसूचना जिले में 06 नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने की अधिसूचना ाजल भ जा जा जात जातिका के कॉलम नम्बर 4 में अंकित मजरे/ढाणी को एतद् पश्चात राजस्व ग्राम के रूप में माना तथा अभिलिखित किया जावेगा-

क्र.	नाम तहसील		अधिसूचना से नव सृजित राजस्व ग्राम	जनसंख्या	क्षेत्रफल (ह.)
सं.		ग्राम का नाम	4	5	6
1	2	3	रसेवदा की ढाणी	390	161.87
1	लक्ष्मणगढ	भीलूण्डा	द्रांका की ढाणी	308	172.37
2	लक्ष्मणगढ	बटोट	ब्रिजारणिंया की ढाणी	875	343.17
3	दांतारामगढ	चिड़ासरा .	शेषमा की ढाणी	712	266.72
4	<i>दे</i> ं।तारामगढ	0,11011	/ Ci	1687	685.12
5/	श्रीमाधोपुर	आभावास,		681	363.35
6	श्रीमाधोपुर	गढी खानपुर	/पीपेड़ा बालाजीनगर	00.	

नवीन राजस्व ग्रामों के गटन से प्रभावित उपर्युक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों का परिशोधन कार्य सम्बन्धित तहसीलदार, राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.९(१६)राज-१/०७ दिनांक ३.१०.०७ के अनुसार निस्पादित कर इस कार्यालय को अवगत करार्येगे।

> ऽ*व* — जिला कलक्टर सीकर दिनांक:- '3 न्रे-/ 2\_

5 की मेमराम भाव दिसायक, न्यों द

क्रमांक/भू.अ./12/2727-775

1.श्री महादेव सिंह खण्डेला मा. सांसद, सीकर।

2.श्री दीपेन्द्र सिंह मा. विधायक श्रीमाधोपुर।

- 3.श्री अमरा राम मा.विधायक, दांतारामगढ।
- 4.श्री गोविन्द सिंह डोटासरा मा. विधायक लक्ष्मणगढ। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थः-
  - 1.उपशासन सचिव राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर।
  - २.उप निबन्धक (भू.अ.) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
  - उ.संभागीय आयुक्त जयपुर संभाग, जयपुर।
  - 4.जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर।
  - ५.अपर जिला कलक्टर, सीकर।
  - ६.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, सीकर।

Desktop/RC/Gora<<Letters A-4>26/06/2012 5:22 PM

